न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 45/2019 (2019/00125) वादपत्र

1. गीतादेवी पत्नि रतनलाल तेली निवासी आशाहोली, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. चान्दीदेवी पत्नि माधुलाल तेली निवासी आशाहोली, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 05.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 20.02.2020 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में सयुंक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 2844 रकबा 1.54 है0, आराजी संख्या 2845 रकबा 0.02 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 03.03.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीया के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीया अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 2844/2 रकबा 0.77 है0, भूमि गीतादेवी पत्नि रतनलाल तेली सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2844/1 रकबा 0.77 है0, भूमि चान्दीदेवी पत्नि माधुलाल तेली सा0 देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2845 रकबा 0.02 है0 गेमु आचा सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5-3-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 45/2019 (2019/00125) वादपत्र
1. गीतादेवी पत्नि रतनलाल तेली निवासी आशाहोली, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादीया

बनाम

1. चान्दीदेवी पत्नि माधुलाल तेली निवासी आशाहोली, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 2844/2 रकबा 0.77 है0, भूमि गीतादेवी पत्नि रतनलाल तेली सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2844/1 रकबा 0.77 है0, भूमि चान्दीदेवी पत्नि माधुलाल तेली सा0 देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2845 रकबा 0.02 है0 गेमु आचा सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:27:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: